**प्रेस विज्ञप्ति**

**04-06-2026**

**ईडी ने भारतमाला राजमार्ग भूमि अधिग्रहण मुआवजा धोखाधड़ी मामले में जय प्रकाश गांधी को किया गिरफ्तार**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर निवासी जय प्रकाश गांधी को भारतमाला राजमार्ग भूमि अधिग्रहण मुआवजा धोखाधड़ी केस में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 03.06.2026 को गिरफ्तार किया है।

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर–विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धोखाधड़ी से संबंधित छत्तीसगढ़ की एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि जय प्रकाश गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों और कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर अधिसूचित राजमार्ग के दायरे में आने वाली जमीन पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसे 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे–छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। आरोप है कि यह बंटवारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से अधिक मुआवजा प्राप्त करने के एकमात्र इरादे से किया गया था।

आगे यह भी पता चला है कि उपर्युक्त कपटपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाकर, आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने वैध रूप से देय राशि मात्र 56.76 लाख रुपये के मुकाबले लगभग 9.83 करोड़ रुपये का मुआवजा प्राप्त किया, जिससे लगभग 9.27 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित हुई। जांच में यह भी पता चला है कि अपराध की आय को बाद में शेयरों, म्यूचुअल फंडों और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश के माध्यम से स्तरित (लेयरिंग) और एकीकृत किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने 28.04.2026 को रायपुर, अभनपुर और धमतरी जिलों में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके दौरान धोखाधड़ी से मुआवजे की प्राप्ति से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सबूत बरामद कर जब्त किए गए थे।

गिरफ्तार आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष हाजिर किया गया, जिन्होंने आरोपी को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

मामले की जांच जारी है और साजिश में शामिल अन्य लाभार्थियों, मध्यस्थों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।